



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 604 राँची, गुरुवार,

03 दिसम्बर, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2020

संख्या-2/राज०स्था० DDO-29/2020-3605 /रा.-- श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-87 में निर्देशित प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर से संबंधित निम्नलिखित लेखाशीर्ष हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ अगले आदेश तक के लिए प्रत्यायोजित की जाती है :-

(क) मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-101-आयुक्त, उपशीर्ष-01-मुख्य कार्यालय

(ख) मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य/796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उपशीर्ष-19-बाह्य स्रोत/अनुबंध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृह रक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता।

(ग) मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य/ 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उपशीर्ष-20-मशीन, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को यह शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर अथवा प्रमण्डलीय आयुक्त के सचिव, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पदस्थापन तक के लिए प्रदत्त की जाती है।
4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव
